पत्रांक–03 / मेट्रो–17–15 / 2025 / न० वि० एवं आ० वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
संयुक्त सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक................

विषयः– **पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित DPR के अनुसार परियाजना में होने वाले अतिरिक्त लागत ₹559.73 करोड़ राशि में से तत्काल ₹68.50 करोड़ (अड़सठ करोड़ पचास लाख रू०) मात्र व्यय करने हेतु निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL) का गठन संकल्प सं0–2406 दिनांक–26.09.2018 द्वारा किया गया है तथा संकल्प सं0–5244 दिनांक–09.10.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-14011/P-I/2016-UT-V दिनांक–27.02.2019 के आलोक में राज्य सरकार को निवेश मद में रू0 1840.31 करोड़ एवं भू–अर्जन मद में रू0 9201.55 करोड़ योगदान करना है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में Land, R&R and PPP Component को छोड़कर निवेश करने हेतु Project Cost की कुल राशि का केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20–20 प्रतिशत तथा बाह्य एजेंसी से 60% ऋण लिया जाना है।

2. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा Alignment प्रविर्तन के उपरांत M/S RITES LTD द्वारा अपडेटेड DPR तैयार कराया गया, जिसके अनुसार निर्माण व्याय, करों की वास्तविक गणना, निर्माण के दौरान ब्याज, PPP घटक एवं भूमि की लागत आदि पर संशोधन के उपरांत DPR का कुल लागत रु० 13,925.50 करोड तय किया गया। उपर्युक्त आलोक में संशोधित DPR के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना पर होने वाले अतिरिक्त राशि रू० 559.73 करोड़ (रु० 13925.50–13365.77) राशि का व्यय बिहार सरकार द्वारा किए जाने पर स्वीकृति प्राप्त है।

उक्त के आलोक में संशोधित DPR के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना पर होने वाले अतिरिक्त राशि रू० 559.73 करोड़ में से तत्काल ₹68.50 करोड (अड़सठ करोड़ पचास लाख रू०) मात्र की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

3. निर्माण मद में स्वीकृत राशि **₹68.50 करोड़ (अड़सठ करोड़ पचास लाख रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे।** उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98, पत्रांक–227 दिनांक– 28. 03.2025 एवं पत्रांक–950, दिनांक–12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट से प्रावधानित राशि से किया जाएगा। निकासी की

गई राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के SNA Account No.-43522467665, IFSC Code-SBIN0000153 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के Secretariat Branch, सिचाईं भवन, पटना में संधारित की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) द्वारा आवश्यकतानुसार RTGS/CFMS/PFMS के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवष्यकता नहीं होगी।

5. निर्माण मद की स्वीकृत राशि **₹68.50 करोड़ (अड़सठ करोड़ पचास लाख रू०) मात्र** की निकासी मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–5075–अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0101–पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, विषय शीर्ष–5301–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–48–5075600510101, विषय शीर्ष–0101.5301 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि में से होगी।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं०–261/टि0 पर दिनांक–24/3/26 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं०–261 पर दिनांक–24/3/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,–

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–03/मेट्रो–17–15/2025 528 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:–24/3/26

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव–सह–निदेशक, बुडा/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 06/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।